

मि. प्र. 34/120

आदेश दिनांक 2/1/20 (राजस्व) लूनकरणसर, जिला बीकानेर

बनाम श्री

शुक्ल राम साहू
राम साहू

किरण पुस्तक सं. 1956 की धारा 22

एल. आर. एक्ट 1956 की धारा 91

आदेश नम्बर 09

वर्ष 2019

फसल

आदेश दिनांक	कार्यवाही विवरण	आदेश की जाली
-------------	-----------------	--------------

2/1/20

पटवारी हल्का धुलाडा
 की रिपोर्ट पर पत्रावली मुरतीब की गई। मुताबिक रिपोर्ट अप्रार्थी के
 ग्राम/चक धुलाडा
 खसरा नं./मुं.नं. 457 2012

शुक्ल
राम

तादादी 0.12 बी
 राजकीय भूमि पर समत 2076 में
 नाजायज कब्जा कर काश्त कर ली। अप्रार्थी को धारा 22/91 के तहत नोटिस
 जारी किया जावे एवं भू-अभिलेख निरीक्षक को फसल-कुर्क कर हेतु बिधा
 जावे। पत्रावली आईन्दा दिनांक 24/12/19 को पेश हो।

सीतलदार (राजस्व)
लूनकरणसर

7.1.20

आज यह पत्रावली पेश हुई, जोकि
 उक्त बाधित धारा, जोकि पुनराधी
 कर पत्रावली को (35) 30.1.20
 को पेश हो।

14.1.20

आज यह पत्रावली पेश हुई अप्रार्थी
 उपस्थित होकर अपना पत्रावली प्रस्तुत किया
 जो शामिल मिसल रहे। पत्रावली को (35)
 30.1.20 को पेश हो

सीतलदार (राजस्व)
लूनकरणसर

30.1.20

आज यह कार्रवाई जैसे हुई। अ.अ.वि.क
पत्रकारी इत्यादि को गैर सुमकिन राखा जाकर
है। सिवा जाकर धालना है अलग अलग
जावे। पत्रकारी को गैर सुमकिन राखा जावे।
रहित है एक के जावे।

- 3
सहायक निदेशक (अ.अ.वि.क)
मुंबई

